**भारत सरकार**
**रसायन और उर्वरक मंत्रालय**
**औषध विभाग**

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 341**
**दिनांक 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

## कैंसर की दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में शामिल न करना

**341. श्रीमती सागरिका घोषः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बड़ी संख्या में कैंसर से संबंधित दवाएं औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ-2013) के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर हैं, यदि हाँ, तो उन्हें शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) डीपीसीओ-2013 के तहत वर्तमान में शामिल न होने वाली कैंसर रोधी दवाओं की सूची क्या है तथा प्रत्येक ऐसी औषधि के लिए उसके ब्रांड/जेनेरिक नाम, खुराक का रूप/तीव्रता, प्राथमिक निर्माता (निर्माताओं), विपणन प्राधिकरण धारक (धारकों) तथा पेटेंट स्थिति जिसमें पेटेंट संख्या, समनुदेशिती/पेटेंट धारक तथा समाप्ति तिथि शामिल है, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय डीपीसीओ-2013 के अंतर्गत ऐसी दवाओं को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने के लिए रूपरेखा सार्वजनिक करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

**(क) से (ग):** कैंसर की औषधियों सहित अन्य औषधियों की कीमतें औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (एनएलईएम) प्रकाशित करता है, जिसे औषध विभाग द्वारा डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I के रूप में शामिल किया गया है। अनुसूची-I के अंतर्गत आने वाली दवाओं का उल्लेख उनके चिकित्सीय वर्ग के अनुसार किया गया है। कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशनों को डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में धारा-7 "प्रतिरक्षात्मक दवाओं सहित कैंसर-रोधी एजेंट और उपशामक परिचर्या में प्रयुक्त दवाइयों" के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने अनुसूची-I में सूचीबद्ध 131 कैंसर-रोधी अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित किए हैं। सभी अनुसूचित औषधियों (ब्रांडेड या जेनेरिक) के विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने उत्पादों की बिक्री एनपीपीए द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य (प्लस लागू वस्तु एवं सेवा कर) के भीतर करें।

एनपीपीए, डीपीसीओ, 2013 के पैरा 2(1)(प) के तहत परिभाषित 'नई औषधि' का खुदरा मूल्य भी निर्धारित करता है। दिनांक 27.01.2026 की स्थिति के अनुसार, एनपीपीए ने कैंसर-रोधी चिकित्सीय श्रेणी के अंतर्गत 54 औषधियों का खुदरा मूल्य निर्धारित किया है। इसके अलावा, गैर-अनुसूचित फॉर्मुलेशनों के मामले में, उनके मूल्यों की निगरानी की जाती है और ऐसे फॉर्मुलेशनों के विनिर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अधिकतम खुदरा मूल्यों में पिछले 12 महीनों के दौरान व्याप्त एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि न करें। तदनुसार, सभी कैंसर दवाओं के मूल्य या तो अधिकतम/खुदरा मूल्य निर्धारित करके मूल्य नियंत्रण के माध्यम से अथवा डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20 के तहत मूल्य वृद्धि को विनियमित करने के माध्यम से डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत आते हैं।

*****